न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्याः– 225/2022
जीसीएमएस नं. :–2022/225

1. मखन सिह पुत्र किशन सिह जाति जटसिख निवासी चक 5 टी.एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. मोहन सिह (मृतक)
   2/1 सतनाम सिह पुत्र स्व0 मोहन सिह
   2/2 देवेन्द्र कौर पुत्री स्व0 मोहन सिह
   2/3 राजपाल कौर पुत्री सव0 मोहन सिह
   2/4 प्रीतम कौर पुत्री स्व0 मोहन सिह
   } अकवाम जटसिख निवासीयान चक 5 टी.एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमागनढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. दीपो पुत्री स्व0 किशन सिंह जाति जाति जट सिख निवासी चक 5 टी.एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. प्रीतो पुत्री स्व0 किशन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 टी.एल.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
3. जीतो पुत्री स्व0 किशन सिंह पत्नी कशमीर सिह जाति जटसिख निवासी थेहड़ तहसील रानियां जिला सिरसा।
4. दलीपराम पुत्र तिलोकचंद (मृतक0
   4/1 सुमित्रा पत्नी दलीपराम पुत्र तिलाकचन्द जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
   4/2 अरूण पुत्र दलीपराम पुत्र तिलाकचन्द जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
   4/3 अनिता पत्नी संजय पुत्री दलीपराम जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   4/4 निशा पत्नी अरविन्द पुत्री दलीपराम जाति जाट निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4/5 अलका पत्नी रूपेश सहारण पुत्री दलीपराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

4/5 अन्जू पुत्री दलीप राम पुत्र तिलौक चन्द जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

6. परमजीत कौर पुत्री स्व0 मोहन सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह निवासी फाजिल्का तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

——तरतीबी रेस्पोडेंट्स

(2) अपील संख्याः— 42/2023
जीसीएमएस नं. :—2023/42

1. बहादुर सिंह पुत्र स्व0 बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी चक 1 आर.के. राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. दीपो पुत्री स्व0 किशन सिंह जाति जाति जट सिख निवासी चक 5 टी. एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. प्रीतो पुत्री स्व0 किशन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 टी.एल.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
3. जीतो पुत्री स्व0 किशन सिंह पत्नी कशमीर सिह जाति जटसिख निवासी थेहड़ तहसील रानियां जिला सिरसा।
4. मखन सिह पुत्र किशन सिह जाति जटसिख निवासी चक 5 टी.एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. मोहन सिह (मृतक)

5/1 सतनाम सिह पुत्र स्व0 मोहन सिह
5/2 देवेन्द्र कौर पुत्री स्व0 मोहन सिह
5/3 राजपाल कौर पुत्री स्व0 मोहन सिह
5/4 प्रीतम कौर पुत्री स्व0 मोहन सिह
} अकवाम जटसिख निवासीयान चक 5 टी.एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी, जिला हनुमागनढ।

5/5 परमजीत कौर पुत्री स्व0 मोहन सिह पत्नी बलविन्द्र सिंह निवासी फाजिल्का तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

6. दलीपराम पुत्र तिलोकचंद (मृतक)

6/1 सुमित्रा पत्नी दलीपराम पुत्र तिलौकचन्द जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6/2 अरूण पुत्र दलीपराम पुत्र तिलौकचन्द जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6/3 अनिता पत्नी संजय पुत्री दलीपराम जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

6/4 निशा पत्नी अरविन्द पुत्री दलीपराम जाति जाट निवासी छापोवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

6/5 अलका पत्नी रूपेश सहारण पुत्री दलीपराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

6/6 अन्जू पुत्री दलीप राम पुत्र तिलौक चन्द जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

8. परमजीत कौर पुत्री स्व0 मोहन सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह निवासी फाजिल्का तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
9. जसवीर कौर पत्नी जोगेन्द्र सिह पुत्री बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 1 तलवाड़ा खुर्द, तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
10. राजकौर पत्नी तरसेम सिह पुत्री बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी निखटिया हिजरावां खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
11. बलवीर कौर पत्नी बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी चक 1 आर.के. राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
प्र. सं. 148/2014 अनवान मोहन सिंह आदि बनाम सुलखन सिंह आदि

उपस्थितिः–

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं0 2022/225
श्री गुरमोहन सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं0 2023/42
श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2
श्री विपिन कुमार अभिभाषक रेस्पो0 सं0 10
श्री दलीप सारस्वत अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4/1 से 4/2
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पो0 सं0 5

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 26.5.23

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट संख्या 1 व अपीलाण्ट संख्या 2/1 से 2/4 व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 के पिता मोहन सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद पत्र में चक नं. 5 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 226/289 किला नं. 22 व प. नं. 225/289 मु. नं. 65 किला नं. 25 की आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी की आराजी का खाता अच्दी मन्दी के हिसाब से अलग कायम करने रकम राज अलग से कायम करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा मांगी कि वे प्रश्नगत आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अंतरित नही करें। प्रतिविादी सं0 1, 2, 3 की और जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। दोनों अपीलें एक ही निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं समान पक्षकार एवं समान भूमि होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. अपील संख्या 225/2022 में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाट सं0 1 के भाई व अपीलाण्ट सं0 2/1 व से 2/4 व रेस्पोडेण्ट मोहन व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 परस्पर भाई बहिन हैं। मोहन सिह की मृत्यु दिनांक 08.12.2021 को हो चुकी थी जिसका ज्ञान रेस्पोडेण्ट को शुरू से रहा है लेकिन रेस्पोडेण्ट ने संख्या 1 से 3 ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 व 5 सीपीसी स्वीकार किया है जो कतई गलत है। कानूनन आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी स्वीकार करने से पूर्व वारिसान को नोटिस जारी होने चाहिए थे, जो नहीं जारी नहीं किये गये हैं रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 3 ने सुलखण सिंह के फौत होन के बाद उसके जायज वारिसान बन्तासिंह को पक्षकार नही बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना-पत्र का कोई आदेश पारित नहीं किया ना ही विधि अनुसार संशोधित काउण्टर क्लेम को रिकार्ड पर लिया गया है। मोहन सिंह व मक्खन सिंह का भी सुलखन सिंह की कृषि भूमि में हक व हिस्सा था। बन्तासिह ने मक्खन सिंह के साथ कृषि भूमि का तबादला किया किया हुआ था। तबादला में पत्थर नं. 226/289 (64) के किला नं. 22 जो बन्ता सिह को प्राप्त हुआ था उक्त किला अपीलाट संख्या 1 को प्राप्त हुआ है, जो अपीलाण्ट के धारण में है। उक्त किला नं. के अलावा प. नं. 226/289 के किला नं. 11 व 20 भी अपीलाण्ट संख्या सं0 1 के आधिपत्य में है। अपीलाण्ट संख्या 2 के वरीसान के आधिपत्य व धारण में प. नं. 225/289 (65) के किला नं. 7, 14, 17 थे। किला नं. 17 में से 0.127 है0 कृषि भूमि मोहन सिंह ने दलीप राम को विक्रय की हुई है। काउण्टर क्लेम में वर्णित भूमि का घराघरू बंटवारा हुआ है तथा पक्षकार मुताबिक बंटवारा काबिज हैं। इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय से रेस्पोडेण्ट ने छुपाया है। सुलखण सिंह के कानूनी व जायज वारिसान के संबंध में कोई दस्तावेज रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने प्रस्तुत नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. अपील संख्या 42/2023 में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त अपील में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया साथ ही कथन कियाकि सुखलखन सिंह की मृत्यु के बाद सुलखनण सिंह के वारिसान मखन सिह, मोहन, सिंह बन्ता सिह , दीपो प्रीतो, जीतो को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। अपीलाण्ट के पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बन्तासिंह का संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति में 1/7 हिस्सा बनता है तथा सुलखनण सिंह की मृत्यु के बाद 1/6 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार दलीपराम के फौत होने पर दलीपराम के जायज व कानूनी वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है जो खारिज किया जावे और अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित चक 5 टीएलडब्ल्यू के खाता संख 141/140 संवत 2070–73 में प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 व प्रतिवादी सं0 2 का 1/5 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ खाता संयुक्त चला आ रहा है एवं हक व हिस्सा के अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। चक नं. 5 टीएलडब्लयू के प. नं. 226/289 मु. नं. 64 किला नं. 27 व प. नं. 225/289 मु. नं. 65 के किला नं. 25 जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से है, तबादला में वादी सं0 2 काश्त करता चला आ रहा है व वादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में है, जिसे वादी सं0 2 जरिये घोषणा राजस्व रिकार्ड में अंकनाद करवाने का अधिकारी है व दावेदार है। वादीगण अपनी भूमि का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त नहीं रखना चाहत हैं, व अच्छी मन्दी के अनुसार खाता अलग से काम करवाकर रकमराज अलग से कायम करवाना चाहते हैं। सुलखन सिंह फौत हो चुका है उसके वारिसान को मखन सिंह, मोहन सिंह व दीपो, प्रीता व जीता सम्मितल है जो पत्रावली पर पहले से रिकार्ड हैं। इस सबंध में पत्रावली में कोई विरोध भी नही था। प्रतिवादीगण ने काउण्टर क्लेम के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जो विशिष्ट किलों पर प्रतिवादीगण का कब्जा सिद्ध कर सकें। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपीले पेश की हैं जो खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एंव अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील सं0 42/2023 अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

8. जहां तक गुणावगण का प्रश्न है। अपीलाण्ट संख्या 1 के भाई व अपीलाण्ट संख्या 2/1 से 2/4 व रस्पोडेण्ट संख्या 6 के पिता मोहन सिंह व रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

संख्या 1 ता 3 भाई बहिन हैं। मोहन की मृत्यु दिनांक 08.12.2021 को हो चुकी लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार सुलखन सिह के फौत होने के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान बन्ता सिह को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दलीपराम भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व ही फौत हो चुका था जिसके कानूनी वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1 से 4/6 है। दलीपराम के फौत होने पर दलीपराम के जायज व कानूनी वारिसान को भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया है । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित कर दी गई है, जो विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारों के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ